रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062023-246463 CG-DL-E-12062023-246463

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345] No. 345] नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2023/ज्येष्ठ 22, 1945 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2023/JYAISHTHA 22, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुन, 2023

सा.का.नि. 432(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 245 थ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम आय-कर (संशोधन) नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 44ङ में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएगें, अर्थात्:-
- "(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसके साथ उपाबद्ध सत्यापन, उक्त के उपाबंध और उपाबंध के साथ लगाए जाने वाले निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज होंगे,-
- (क) किसी व्यष्टि के मामले में.-
 - (।) हस्ताक्षरित या अंकीय हस्ताक्षरित,-
 - (i) स्वयं व्यष्टि द्वारा: या
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षार किए जाने संभव न हों, वहां इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक्त: प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा:

3683 GI/2023 (1)

परन्तु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति से प्राप्त विधिमान्य मुख्तारनामा होना चाहिए और उसे आवेदनपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा; और

- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ख) हिन्दु अविभक्त कुट्मब की दशा में,-
 - (।) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित.-
 - (i) उसके कर्त्ता द्वारा; या
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से कर्ता द्वारा आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने संभव न हों, वहां कुटुम्ब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा; और
 - (।।) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
 - (ग) किसी कंपनी की दशा में,-
 - (I) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-
 - (i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसे प्रबंध निदेशक के लिए आवेदन हस्ताक्षरित और सत्यापित करना संभव न हो, या जहां कोई प्रबंध निदेशक न हो, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा; या
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करना संभव न हो वहां इस निमित्त कंपनी द्वारा सम्यक्त: प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा:

परन्तु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए कंपनी से प्राप्त विधिमान्य मुख्तारनामा होना चाहिए और उसे आवेदनपत्र के साथ लगाया जाएगा; और

- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
- (घ) फर्म की दशा में,-
- (।) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-
 - (i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा; या
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसे प्रबंध भागीदार द्वारा आवेदनपत्र हस्ताक्षरित या सत्यापित किया जाना संभव न हो या जहां कोई प्रबंध भागीदार ही न हो, वहां उसके किसी भी ऐसे भागीदार द्वारा जो अवयस्क न हो;
- (।।) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तृत किया जाएगा;
- (ङ) व्यक्तियों के किसी संगंम की दशा में,-
 - (।) यदि संगंम का कोई व्यक्ति या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित; और
 - (।।) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
- (च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,-
 - (।) उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सशक्त किन्ही अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित; और
 - (।।) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाएगा।
- (3) उक्त नियम के, नियम 44च में,-

- (i) पार्श्व शीर्ष में, "प्राधिकारी" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा ;
- (ii) "प्राधिकारी" शब्द दोनों स्थानों पर जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा ।
- 4. उक्त नियम के, उपाबंध-2 में प्ररूप 34ग से प्ररूप 34ङक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप सं. 34ग

[नियम 44ङ देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ(1) के अधीन कोई अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने के लिए अनिवासी आवेदक के संबंध में आवेदन का प्ररूप

(कृप्या इस प्ररूप को भरने से पूर्व टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें)

अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष

1.	किसी व्यक्ति के मामले में,	श्री	श्रीमती
	अंतिम नाम/उप नाम/ मध्य नाम		
2.	जन्म की तारीख		
3.	पिता का नाम		
4.	पूरा नाम (उस मामले में जहां आवेदक कोई व्यक्ति नहीं है)		
5.	निगमन करने की तारीख (उस मामले में जहां आवेदक कोई व्यक्ति नहीं है)		
6.	निगमन करने के प्रकार		
7.	पता		
8.	टेलिफोन, फैक्स नं. और ई-मेल पता		
9.	वह देश जिसका वह निवासी है		
10.	प्रास्थिति		
11.	अनिवासी होने के लिए दावे का आधार		
12.	आवेदक के ऊपर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी (विद्यमान निर्धारिती के मामले में)		
13.	स्थायी खाता संख्या (विद्यमान निर्धारिती के मामले में)		
14.	उस संव्यवहार जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, से संबंधित प्रश्न (प्रश्नों)		
15.	क्या मद संख्या 14 में निर्दिष्ट संव्यवहार राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम से संबंधित है ?	हां/नः	हीं
16.	यदि हां, तो कार्यक्रम का नाम		
17.	मद संख्या 14 में निर्दिष्ट प्रश्न (प्रश्नों) से संबंधित सुसंगत तथ्यों का विवरण		
18.	पूर्वोक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में यथास्थिति, आवेदक के विधि या तथ्य के निर्वचन को		
19.	अंतर्विष्ट करने वाले विवरण संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची		
	आवेदन के साथ संलग्न फीस भुगतान के ब्यौरे जैसे संव्यवहार संदर्भ संख्या/चालान		
20.	सत्यापन संख्या/भूगतान सत्यापन संख्या आदि		
21.	भारत में प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता यदि कोई हो		
22.	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य		
	या उस देश की सरकार द्वारा पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह		
	विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका आवेदक निवासी होने का दावा करना है।		
23.	आवेदक की मूल कम्पनी या कम्पनियों की विशिष्टियां		
(ক)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी का नाम		
(ख)	आवेदक की तत्काल मूल कपंनी का पता		

(ग)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी के वास स्थान का देश
(ঘ)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)
(ङ)	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य या उस देश की सरकार द्वारा आवेदक की तत्काल मूल कंपनी की पहचान के लिए
	उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी
	होने का दावा करता है ।
(च)	आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का नाम
(छ)	आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का पता
(ज)	ओवदक की क्रमांतिम मूल कंपनी के वास स्थान का देश
(騂)	ओवदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)
(ञ)	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य
	या उस देश की सरकार द्वारा आवेदक की क्रमांतिम मूल कपंनी की पहचान के लिए
	उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी
	होने का दावा करता है ।

हस्ताक्षरित	Ī
(आवेदक))

सत्यापन

मैं,पुत्र/पुत्री	/पत्नी	[पूरा	नाम,	स्पष्ट	अक्षरों	में]
श्री सत्यनिष्ठा	से यह घोषणा	करता/करर्त	हूं कि ऊप	ार और उप	ाबंधों) में	जिसके
अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) के साथ संलग्न दस्तावेज भी हैं,	जो कथन किया	गया है, वह	मेरी सर्वोत्त	ाम जानकारी	और विश्व	त्रास के
अनुसार सही और पूर्ण है । मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं, आवेदन कर रहा हूं और मै यह आवेदन करने और इसे सत्यापित ब		•	पदनाम) के	रूप में अपर्न	ो हैसियत	में यह
मैं यह भी घोषणा करता हूं कि वह प्रश्न, जिस पर अग्रिम वि अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।	निर्णय अपेक्षित	है, मेरे माम	ले में किसी	आय-कर प्र	ाधिकारी,	अपील
आज तारीखको सत्यापित किया गया	1					
					(आ	वेदक)

टिप्पण :

स्थान :....

- 1. यह आवेदन अंग्रेजी या हिन्दी में भरा जाए।
- 2. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में नियमों के नियम 44ङ के अनुसार लागू फीस के भुगतान का सबूत संलग्न होगा। भुगतान के ब्यौरे मद 20 के उत्तर में दिए जाएंगे।
- 3. मद सं. 7 के उत्तर में, किसी आवेदक के मामले में जो विद्यमान निर्धारिती नहीं है, निम्नलिखित पते दिए जाएंगे:-
- भारत में वह स्थान जहां कार्यालय या निवास स्थित है या स्थित होना संभाव्य है
- निगमन के अपने देश में पता।
- 4. मद सं. 9 के उत्तर में, यदि आपवेदक कोई कंपनी, व्यक्ति-संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, आदि है तो, उसके निवास के देश का नाम दिया जाना है, नाकि ऐसे व्यक्ति का, जो उस व्यक्ति की ओर से आवेदन फाइल कर रहा है।
- 5. मद सं. 10 के उत्तर में, आवेदक यह बताए कि क्या वह यह व्यष्टि हिन्दू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यक्ति-संगम या कंपनी है।
- 6. मद सं. 11 के लिए उत्तर आय-कर अधिनियम की धारा 6 में यथाअन्तर्विष्ट भारत में 'निवास' से संबंधित उपबंधों के सदंर्भ में दिया जाए। इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

किसी व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में 'निवासी' तब कहा जाता है, जब यदि वह उस वर्ष के दौरान निम्नानुसार भारत में रहा है:-

- 182 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए: या
- 60 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए और वह पूर्ववर्ती चार वर्षों में 365 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भी भारत में रहा है।

तथापि, किसी भारत के नागरिक या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है और भारत भ्रमण के लिए आता है या जब कोई भारत का नागरिक भारत के बाहर नियोजन के प्रयोजन के लिए या किसी भारतीय पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत छोड़ता है, की दशा में 60 दिनों की अवधि को बढ़ाकर 182 दिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, या भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर है और भारत भ्रमण के लिए आता है तो उपर्युक्त उल्लिखित 60 दिन की अवधि को बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है, यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति की कुल आय विदेशी स्रोत से आय के सिवाय 15 लाख से अधिक है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त उल्लिखित दशाओं पर विचार के बिना कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसकी कुल आय विदेशी स्रोत से आय के सिवाय 15 लाख से अधिक है, निवासी समझा जाएगा यदि वह अपने अधिवास या निवास या किसी अन्य मानदंड के कारण किसी देश या संघ राज्य क्षेत्र में कर के लिए दायी नहीं है।

कोई व्यक्ति-संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब प्रत्येक दशा में भारत में निवासी है सिवाय वहां के जहां उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित है।

कोई कंपनी भारत में निवासी है, यदि यह कोई भारतीय कंपनी है या उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया में स्थित है।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपरोक्तानुसार भारत में निवासी नहीं है, भारत में अनिवासी है।

- 7. मद सं. 14 के संबंध में, प्रश्न, वास्तविक या प्रस्थापित संव्यवहारों पर आधारित होना चाहिए (होने चाहिएं) परिकल्पित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- 8. मद सं. 17 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों को ब्यौरेवार बताए और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति और प्रस्थापित संव्यवहारों की संभावित तारीख और प्रयोजन को भी प्रकट करे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित सुसंगत तथ्यों को, तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया गया हो, न कि मात्र निर्देश द्वारा समाविष्ट किए गए हो।
- 9. मद सं. 18 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) की बाबत, जिस (जिन) के संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्टरूप से उल्लेख करे।
- 10. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के लिए उपाबंधों और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज.-
- (क) व्यष्टि की दशा में,--
- (I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-
 - (i) व्यष्टि के स्वयं के द्वारा; या
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से व्यक्ति द्वारा आवेदनपत्र पर हस्ताक्षार किए जाने संभव न हों, वहां इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक्त: प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा:

परन्तु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति से प्राप्त विधिमान्य मुख्तारनामा होना चाहिए और उसे आवेदनपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा; और

- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;
- (ख) अविभक्त हिंदू कुटुंब की दशा में,-
- (I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-
 - (i) कर्ता के स्वयं के द्वारा या;
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राघिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, किए जाएंगे; और

- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;
- (ग) कंपनी की दशा में,-
- (I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-
 - (i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा; या
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राघिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, किए जाएंगे:

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा;

- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाए;
- (घ) फर्म की दशा में,-
- (I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-
 - (i) प्रबंध भागीदार के स्वयं के द्वारा; या
 - (ii) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भागीदार द्वारा, किया जाएगा, जो अवयस्क नहीं हो; और
- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;
- (ङ) व्यक्तियों के संगम की दशा में,-
- (I) संगम के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा; हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए जाएंगे; और
- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;
- (च) किन्हीं अन्य व्यक्तियों की दशा में,-
- (I) उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किन्हीं व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए जाएंगे; और
- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तृत किए जाएंगे;

	<i>उपाबंध 1</i>
	उन सुसंगत तथ्यों का विवरण जिनका उन प्रश्नों से संबंध है जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है
स्थान	
तारीख	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

उपाबंध 2 प्रश्न जिस पर/जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत् आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अतर्विष्ट करते हुए कथन स्थान..... (आवेदक) तारीख..... प्ररूप सं. 34घ [नियम 44ङ देखें] आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन निवासी आवेदक द्वारा अनिवासी आवेदक के साथ किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहार के संबंध में अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप (कृपया, अग्रिम विनिमय के लिए बोर्ड के समक्ष इस प्ररूप को भरने से पहले सावधानीपूर्वक टिप्पणियों को पढ़ें) आवेदक का पूरा नाम और पता टेलीफोन, फैक्स नं. और ई-मेल पता प्रास्थिति आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या, यदि लागू हो 6. ऐसे अनिवासी की विशिष्टियां, जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है (क) अनिवासी का नाम (ख) अनिवासी का पता

(ग)	ग्राम्य निवास	
(ঘ)	अनिवासी की टैलीफोन और फैक्स संख्या	
(ङ)	अनिवासी का स्थायी खाता संख्या (यदि आबंटित किया गया हो)	
(च)	करदाता रजिस्ट्रीकरण संख्या या करदता पहचान संख्या/ उस देश	
()	या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसका निवासी होने का दावा किया	
	जाता है, की सरकार द्वारा अनिवासी की पहचान के लिए प्रयुक्त	

		कोई कृत्यकारी समतुल्य या अन्य विशिष्ट संख्या	
	(छ)	अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का नाम	
	(ज)	अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का पता	
	(묡)	अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का ग्राम्य निवास	
	` '		
	(স)	अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का स्थायी खाता संख्या (यदि आबंटित किया गया हो)	
			L
	(ट)	करदाता रजिस्ट्रीकरण संख्या या करदता पहचान संख्या/कृत्यकारी समतुल्य या उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसका निवासी होने का दावा किया जाता है, की सरकार द्वारा अनिवासी की अव्यवहृत मूल कंपनी की पहचान के लिए प्रयुक्त कोई अन्य विशिष्ट संख्या	
	(ठ)	अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी का नाम	
	(ड)	अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी का पता	
	(রু)	अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी का ग्राम्य निवास	
	(ण)	अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का स्थायी खाता संख्या (यदि आबंटित किया गया हो)	
	(ন)	करदाता रजिस्ट्रीकरण संख्या या करदता पहचान संख्या/ उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसका निवासी होने का दावा किया जाता है, की सरकार द्वारा अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी की पहचान के लिए प्रयुक्त कोई कृत्यकारी समतुल्य या अन्य विशिष्ट संख्या;	
	_		
7.		त आधार यह कि क्रम संख्यांक 6 में निर्दिष्ट व्यक्ति जिससे हार किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है, अनिवासी है	
8.	-	ाए संव्यवहार या किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहार जिस ग्रेम विनिर्णय अपेक्षित है, से संबंधित विधि या तथ्य का प्रश्न	
9.		द सं. 8 में निर्दिष्ट संव्यवहार राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटना से संबंधित है?	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राष्	जपत्र : असाधारण 9	
10. यदि हां, तो उस घटना का नाम		
 11. मद सं. 8 में निर्दिष्ट प्रश्न(प्रश्नों) पर प्रभाव डालने वाले सुर का विवरण 12. उपरोक्त प्रश्नों की बाबत आवेदक का यथास्थिति विधि र निर्वचन को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण 13. संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची 		
14. आवेदन से संलग्न फीस के संदाय के ब्यौरे, जैसे कि संव्यव सख्या/ चालान पहचान संख्या/संदाय पहचान संख्या आदि	ाहार संदर्भ	
	<i>(</i> आवेदक <i>)</i>	
;	सत्यापन	
मैं,		
स्थान	 (आवेदक)	
टिप्पण:		
1. आवेदन अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा।		
2. आवेदन के साथ नियम 44ङ के उपनियम (4) के अनुसार नई दिल्ली में संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में दी गई लागू फीस के संदाय का सबूत संलग्न होगा । संदाय के ब्यौरे मद संख्या 14 के प्रत्युत्तर में दी जाएगी।		
3. मद संख्या 3 के प्रत्युत्तर में आवेदक यह कथन करेगा कि वह है।	या तो व्यष्टि, अविभक्त हिंदू कुटुंब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी	
•	यथाअन्तर्विष्ट भारत में 'निवास' से संबंधित उपबंधों के सदंर्भ में दिया ी वित्तीय वर्ष में 'निवासी' तब कहा जाता है, जब यदि वह उस वर्ष के	

किसी व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में 'निवासी' तब कहा जाता है, जब यदि वह उस वर्ष के दौरान निम्नानुसार भारत में रहा है:-

- 182 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए; या

- 60 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए और वह पूर्ववर्ती चार वर्षों में 365 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भी भारत में रहा है।

तथापि, किसी भारत के नागरिक या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है और भारत भ्रमण के लिए आता है या जब कोई भारत का नागरिक भारत के बाहर नियोजन के प्रयोजन के लिए या किसी भारतीय पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत छोड़ता है, की दशा में साठ दिनों की अविध को बढ़ाकर एक सौ बयासी दिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, या भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर है और भारत भ्रमण के लिए आता है तो उपर्युक्त उल्लिखित साठ दिन की अविध को बढ़ाकर एक सौ बीस दिन कर दिया गया है, यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति की कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के सिवाय पंद्रह लाख से अधिक है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त उल्लिखित दशाओं पर विचार के बिना कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के सिवाय, पंद्रह लाख से अधिक है, निवासी समझा जाएगा यदि वह अपने अधिवास या निवास या किसी अन्य मानदंड के कारण किसी देश या संघ राज्य क्षेत्र में कर के लिए दायी नहीं है।

कोई व्यक्ति-संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या फर्म प्रत्येक दशा में भारत में निवासी है सिवाय वहां के जहां उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित है।

कोई कंपनी भारत में निवासी है, यदि यह कोई भारतीय कंपनी है या उसके कार्यों का प्रभावी प्रबंध भारत में स्थित है।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपरोक्तानुसार भारत में निवासी नहीं है, भारत में अनिवासी है।

- 5. मद सं. 8 के संबंध में, प्रश्न, वास्तविक या प्रस्थापित संव्यवहारों पर आधारित होना चाहिए (होने चाहिएं) । परिकल्पित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- 6. मद सं. 11 के संबंध में, उपाबंध 1 में, आवेदक सुसंगत तथ्यों को व्यौरेवार बताए और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति और प्रस्थापित संव्यवहारों की संभावित तारीख और प्रयोजन को भी प्रकट करे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित सुसंगत तथ्यों को, तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया गया हो, न कि मात्र निर्देश द्वारा समाविष्ट किए गए हो।
- 7. मद सं. 12 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) की बाबत, जिस (जिन) के संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्टरूप से उल्लेख करेगा।
- 8. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के लिए उपाबंधों और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले निम्नलिखित विवरणों और दस्तावेजों को,-
- (क) व्यष्टि की दशा में,--
- (I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-
 - (i) व्यष्टि के स्वयं के द्वारा; और
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, तो इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; या

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए व्यष्टिक से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा; और

- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
- (ख) अविभक्त हिंदू कुटुंब की दशा में,-
- (I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-
 - (i) कर्ता के स्वयं के द्वारा; और
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, ऐसे कुटुंब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; और
- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
- (ग) कंपनी की दशा में,-

- (I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-
 - (i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा; या
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, वहां इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाएगा:
 - परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा; और
- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
- (घ) फर्म की दशा में,-
- (I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-
 - (i) प्रबंध भागीदार के स्वयं के द्वारा; या
 - (ii) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो, हस्ताक्षरित किया जाएगा; और
- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
- (ङ) व्यक्तियों के संगम की दशा में,-
- (I) संगम के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा से हस्ताक्षरित या डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित है; और
- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
- (च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,-
- (I) उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किन्हीं व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित किया जाएगा; और
- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

	<i>उपाबंध 1</i>	
उन सुसं	तंगत तथ्यों का विवरण जिनका उन प्रश्नों(उस प्रश्न) से संबंध है जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है	
स्थान		(आवेदक)
तारीख		
	<i>उपाबंध 2</i>	
	प्रश्न, जिस पर/जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत् आवेदक के	
	यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अतर्विष्ट करते हुए कथन	
	यथास्यात, ायाव या तच्या का निवयन का जतावच्ट करत हुए कथन	
		हस्ताक्षरित
स्थान		(आवेदक)
तारीख		(/ \ / /
(11319		

प्ररूप सं. 34घक

[नियम 44ङ देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए ऐसे संव्यवहार के संबंध में जो किया गया है या जिसका किया जाना प्रस्थापित है, निवासी आवेदक द्वारा आवेदन का प्ररूप

(कृपया, इस प्ररूप को भरने से पहले सावधानीपूर्वक टिप्पणियों को पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष

1.	आवेदक का पूरा नाम और पता		
2.	टेलीफोन, फैक्स नं. और ई-मेल पता		
3.	प्रास्थिति		
4.	आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी		
5.	स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या(यदि लागू हो)		
6.	ऐसे व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन या फैक्स सं. और ई-मेल पता जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या किया जाना प्रस्थापित है		
7.	ऐसे संव्यवहार जो किए गए हैं या किए जाने प्रस्थापित हैं, से संबंधित विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न, जिनके संबंध में अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है।		
8.	क्या मद सं. 7 में निर्दिष्ट संव्यवहार किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटना के संबंध में है ?	हां/नहीं	
9.	यदि हां, घटना का नाम		
10	. मद सं. 7 में निर्दिष्ट प्रश्न (प्रश्नों) से संबद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण		
11	. उपरोक्त प्रश्न (प्रश्नों) की बाबत आवेदक का यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण		
12	. क्या उठाए गए प्रश्नों पर न्यायालय के ऐसे विनिश्चय हैं जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है ? यदि हां, तो ऐसे सुसंगत विनिश्चयों की सूची दें।		
13	संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची		
	आवेदन के साथ संलग्न, फीस जैसे संव्यवहार संदर्भ सं./चालान		
	पहचान सं./संदाय पहचान सं. आदि, के संदाय के ब्यौरे		
			हस्ताक्षरित <i>(</i> आवेदक <i>)</i>
	सत्याप	न	(બાવલ્ય)
मैं,			गत्नी [पूरा और
बड़े	अक्षरों में नाम] सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त औ		
	न दस्तावेज भी हैं, के विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास बे	(पदनाम) की हैसियत में यह आवेदन क	_{कर रहा हू} ं और मैं
विनि	आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ और इसका सत्यापन करता हूँ मैं गेर्णय वांछित है, मेरे मामले में किसी आय-कर प्राधिकारी, अपीली तारीखको सत्यापित किया गया है।	ं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऐसा प्रश्न (प्रश्नों)	जिस पर अग्रिम
		-	हस्ताक्षरित (आवेदक)
स्था	₹		

टिप्पण:

- 1. आवेदन अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा।
- 2. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में आयकर नियम, 1962 के नियम 44ड. के उप नियम (4) के अनुसार लागू फीस के भुगतान का सबूत संलग्न हो। भुगतान के ब्यौरे मद सं. 14 के प्रत्युत्तर में दिए जाएंगे।
- 3. मद संख्या 3 के प्रत्युत्तर में आवेदक यह कथन करेगा कि वह या तो व्यष्टि, अविभक्त हिंदू कुटुंब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है।
- 4. मद सं. 7 के संबंध में, प्रश्न, वास्तविक या प्रस्थापित संव्यवहारों पर आधारित होना चाहिए (होने चाहिएं) । परिकल्पित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- 5. मद सं. 10 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों को व्यौरेवार बताए और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति और प्रस्थापित संव्यवहारों की संभावित तारीख और प्रयोजन को भी प्रकट करे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित सुसंगत तथ्यों को, तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया गया हो, न कि मात्र निर्देश द्वारा समाविष्ट किए गए हो।
- 6. मद सं. 11 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) की बाबत, जिस (जिन) के संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्टरूप से उल्लेख करेगा।
- आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के लिए उपाबंधों और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले निम्नलिखित विवरणों और दस्तावेजों,-
- (क) व्यष्टि की दशा में,-
- (I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-
 - (i) व्यष्टि के स्वयं के द्वारा; और
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, तो इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; या
 - परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए व्यष्टिक से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा; और
- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
- (ख) अविभक्त हिंदू कुटुंब की दशा में,-
- (I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-
 - (i) कर्ता के स्वयं के द्वारा; और
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, ऐसे कुटुंब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; और
- (II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
- (ग) कंपनी की दशा में,-
- (I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-
 - (i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा; या
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, वहां इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाएगा:
 - परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा; और

14	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(i)]
(II) उसके रजि	नेस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;	
(घ) फर्म की द	स्था में,–	
(I) हस्ताक्षर य	या डिजिटल रूप से,-	
(i)	प्रबंध भागीदार के स्वयं के द्वारा; या	
सत्य	उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवे यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भागीदा ताक्षरित किया जाएगा; और	~
(II) उसके रा	जेस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;	
(ङ) व्यक्तियों	ं के संगम की दशा में,-	
(I) संगम के वि	केसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा से हस्ताक्षरित या डिजिटल रुप से हस्ताक्षरि	रत है; और
(II) उसके रा	जेस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;	
(च) किसी अन	न्य व्यक्ति की दशा में,-	
(I) उस व्यवि किया जाएगा	न्ते द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किन्हीं व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित या ; और	डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित
(II) उसके रजि	जेस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;	
	<i>उपाबंध 1</i>	
	उन सुसंगत तथ्यों का विवरण जिनका उस प्रश्न (प्रश्नों) से संबंध है, जिन पर अग्रिम विनिर्ण	यि अपेक्षित है
		(आवेदक)
स्थान		(3,13.7)
तारीख		
	उपाबंध 2	
प्रश्न (प्रश्नों), जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों वे	क निर्वचन को अंतर्विष्ट करते

हुए कथन

हस्ताक्षर

(आवेदक)

स्थान

तारीख

प्ररूप सं. 34ङ

[नियम 44ङ देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ(1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार व्यष्टियों के वर्ग या प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले निवासी द्वारा आवेदन का प्ररूप

(इस प्ररूप को भरने से पहले टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष

1.	आवेदक का पूरा नाम और पता	
2.	टेलीफोन, फैक्स नंबर और ई मेल पता	
3.	प्रास्थिति	
4.	आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी	
5.	स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्या	
6.	सीआईटी (ए) या अधिकरण के समक्ष अपील संख्यांक और अपील की तारीख, जहां कहीं लागू हो, की विशिष्टियां	
7.	निर्धारण वर्ष, निर्धारण आदेश की तारीख और वह धारा, जहां लागू हो, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा, मूल आदेश पारित किया गया था (निर्धारण आदेश और अपीलीय आदेश की प्रति संलग्न करें)	
8.	अन्तर्वलित विधि या तथ्य का (के) प्रश्न, जिस (जिन) पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है	
9.	क्या मद सं0 8 में निर्देशित संव्यवहार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना है ?	हां/नहीं
10.	यदि हां, घटना का नाम	
11.	मद सं0 8 में निर्देशित प्रश्न (प्रश्नों) से संबद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण	

12.	पूर्वोक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में, आवेदक के, यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण	
13.	संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची	
14.	आवेदन के साथ संलग्न फीस संदाय के ब्यौरे, जैसे कि संव्यवहार संदर्भ सं0/चालान पहचान संख्या/संदाय पहचान संख्या आदि	
		हस्ताक्षर
		(आवेदक)
	सत्याप	न
मै,		, पुत्र/पुत्री/पत्नी [पूर्ण नाम स्पष्ट अक्षरों में] श्री
 उपाबंध और पूण	सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करत (उपाबंधों) के साथ लगे दस्तावेज भी हैं, जो भी कथन किया ग	ती हूं कि उपरोक्त और उपाबंध (उपाबंधों) में, जिसके अंतर्गत ऐसे ाया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही के रूप में अपनी हैसियत में कर रहा रही हूं और मैं
मैं यह	,	ू अग्रिम विनिश्चय इप्सित है, मेरे मामले में आय-कर प्राधिकारी,
आज त	ारीखको सत्यापित किया गया।	
		हस्ताक्षर
		(आवेदक)
स्थान :		
टिप्पण		

- आवेदन अंग्रेजी या हिन्दी में भरा जाएगा। 1.
- आवेदन के साथ संदाय का सबूत, नियम 44ङ के उपनियम (4) के अनुसार लागू फीस नई दिल्ली में संदेय, अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के पक्ष में भेजा जाएगा। संदाय के ब्यौरे मद सं0 14 के उत्तर में दिए जाएंगे।
- मद सं. 3 के उत्तर में, आवेदक यह बताएगा कि क्या वह कोई आवेदक, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यष्टि-संगम या कंपनी है। 3.
- मद सं. 8 के संबंध में, प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित संव्यव्हार पर आधारित होगा । अनुमानिक प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- मद सं. 11 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों का ब्यौरेवार कथन करेगा। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कर प्रभाव को भी वर्णित किया जाएगा।

- मद सं. 12 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) के संबंध में, जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।
- 7. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के उपाबंध और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले विवरणों और दस्तावेजों को,--
 - (क) किसी व्यष्टि के मामले में,-
 - (I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-
 - (i) व्यष्टि द्वारा स्वयं; या
 - (ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यकत: अधिकृत किसी व्यष्टि द्वारा:

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यष्टि के पास ऐसा करने के लिए व्यष्टि से वैध मुख्तारनामा हो, जो आवेदन से जुड़ा होगा; और

- (II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;
- (ख) एक हिंदू अविभक्त कुटुंब के मामले में,-
 - (I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-
 - (i) उसके कर्ता द्वारा; और
 - (ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, वहां ऐसे कुटुंब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा; और
 - (II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;
- (ग) एक कंपनी के मामले में,-
 - (I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-
 - (i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने में सक्षम नहीं है, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, उसके किसी निदेशक द्वारा; या
 - (ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, वहां इस संबंध में कंपनी द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यष्टि द्वारा:

परंतु उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यष्टि के पास ऐसा करने के लिए कंपनी से एक वैध मुख्तारनामा है, जो आवेदन से जुड़ा होगा; और

- (II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;
- (घ) एक फर्म के मामले में,--
 - (I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-
 - (i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा; या

हस्ताक्षर (आवेदक)

......

- (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने में सक्षम नहीं है, या जहां इस प्रकार से कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो; और
- (II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;
- (ङ) व्यष्टियों के एक संघ के मामले में,--
 - (I) संघ के किसी सदस्य या उसके प्रमुख अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित; और
 - (II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;
- (च) किसी अन्य व्यष्टि के मामले में,-
 - (I) उस व्यष्टि द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी व्यष्टि द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल हस्ताक्षर; और
 - (II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया।

उपाबध 1
उस प्रश्न (उन प्रश्नों) से, जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है,
संबद्ध सुसंगत तथ्यों का कथन
संबद्ध सुसगत तथ्या का कथन
थान
गरीख
हस्ताक्ष
(आवेदव
उपाबंध 2
उस प्रश्न (उन प्रश्नों) के संबंध में, जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, आवेदक के, यथास्थिति, विधि और तथ्यों के निर्वचन वाला
विवरण
ाज न ्ग
थान :
गरीख

प्ररूप संख्या 34ङक

[देखिए नियम 44ङ]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने का प्ररूप

(कृपया इस प्ररूप को भरने से पहले टिप्पणियों को सावधानीपूर्वक पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष

1.	व्यष्टि के संबंध में,	श्रीमान	श्रीमती
	अंतिम नाम/उपनाम प्रथम		
	नाम		
	मध्य नाम		
2.	जन्म की तारीख		
3.	पिता का नाम		
4	पूरा नाम (यदि आवेदक व्यष्टि नहीं है)		
4.	रूप गाम (याय आययम ज्याट गहा ह)		
5.	निगमन की तारीख (यदि आवेदक व्यष्टि नहीं है)		
6.	निगमन के प्रकार		
7.	पता		
8.	प्रास्थिति		
9.	भारत का निवासी या अनिवासी	हां/नहीं	
10.	देश, जहां वह निवास करता है (अनिवासी की दशा में)		
11.	अनिवासी होने के लिए दावे का आधार		
40	आवेदक के ऊपर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त और		
12.	निर्धारण अधिकारी (केवल विद्यमान अनिवासी निर्धारिती		
	की दशा में)		
4.0	0-000-3-00		
13.	निवासी की दशा में स्थायी खाता संख्यांक और आधार संख्यांक (यदि लागू हो)		
	45 11 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>	
14.	आवेदक द्वारा किए गए ठहराव का ब्यौरा, जिस पर बोर्ड का		
	अवधारण या निर्णय आवश्यक है		

	(i) ठहराव का संक्षिप्त विवरण						
	(ii) ठहराव का प्रयोजन						
	(iii) निम्नलिखित प्ररूपों में त ब्यौरा :	ऽहराव के लिए अन्य	पक्षकारों का				
क्र.सं.	ठहराव के लिए अन्य पक्षकार (पक्षकारों) के नाम	क्या भारत के निवासी हैं	स्थायी खाता संख्यांक और आधार संख्यांक (यदि कोई हो)	ठहराव में पक्षकार भूमिका	ऐसे की	ठहराव के प्रक्षकार पक्षकार (पक्षकारों) साथ संबंध	अन्य पक्षकार (पक्षकारों) से उत्पन्न होने वाले कर लाभ
15.	कर लाभ, जो ठहराव से उ किया जाता है	त्पन्न होने की संभा	वना है, यदि				
16.	निर्धारण वर्ष या वर्ष, जिसके दौरान मद सं. 15 में यथा उपदर्शित कर लाभ उत्पन्न होने की संभावना है (वर्ष-वार अलग-अलग लिखें)						
17.	प्रस्तावित ठहराव से संबंधित प्रश्न (प्रश्नों), जिस पर मद सं. 14 में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय आवश्यक हैं						
18.	मद सं. 14 से संबद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण						
19.	उपर्युक्त ठहराव के संबंध में, आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण						
20.	संलग्न दस्तावेजों विवरणों व	की सूची					
21.	आवेदन के साथ संलग्न फीस संदाय के ब्यौरे, जैसे कि संव्यवहार संदर्भ सं0/चालान पहचान संख्या/संदाय पहचान संख्या आदि						
22.	भारत में प्राधिकृत प्रतिनिधि	ा का नाम और पता					
							हस्ताक्षर

(आवेदक)

27	-71	$\boldsymbol{\tau}$,,,,	1
77	4	"	7'	•

मैसत्यनिष्ठा यह घोषणा करता/करती हैं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऐसे उपाबंध(धों) के साथ दस्तावेज भी है में किया गया कथन सही औरपूर्ण है।
मैं यह और घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं (पदनाम) की क्षमता में यह आवेदन कर रहा /रही हूँ और मैं यह आवेदन करने के
लिए सक्षम हूँ और इसे सत्यापित करता/करती हूँ । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि वह प्रश्न जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है किसी आय-कर प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष मेरे मामले में लंबित नहीं है
आज दिनको सत्यापित I
स्थान <i>(आवेदक)</i>

टिप्पण:

- 1. आवेदन अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा
- 2. मद संख्या 9 के उत्तर में, आवेदक के मामले में, जो विद्यमान निर्धारिती नहीं है, निम्नलिखित पते दिए जाने हैं:-
 - भारत में वह स्थान जहां कार्यालय और निवास अवस्थित है या अवस्थित होने की संभावना है।
 - निगमन के उसके देश का पता।
- 3. आय-कर नियम, 1962 के नियम 44ङ के उपनियम(4) के अनुसार नई दिल्ली पर संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में किया गया लागू फीस के संदाय के सबूत के साथ आवेदन किया जाएगा। संदाय के ब्यौरे मद सं. 21 के उत्तर में दिए जाएंगे।
- 4. मद सं. 8 के उत्तर में, आवेदक को यह अवश्य कथन करना चाहिए कि व व्यष्टिक, हिंदू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है।
- 5. मद सं. 11 के लिए, आय-कर अधिनियम की धारा 6 में यथा अंतर्विष्ट भारत में 'निवास' के संबंध में उपबंधों के संदर्भ में उत्तर दिया जाएगा/इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:-

कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में, 'निवासी' कहा जाता है, यदि वह उस वर्ष के दौरान भारत में निम्नलिखित अवधि के लिए रहा है ;

- -एक सौ अस्सी दिवस की अवधि या अवधियों के लिए; या
- -साठ दिवस या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान तीन सौ पैंसठ दिवसों या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भी भारत में रहा है।

तथापि, भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति, जो भारत से बाहर रहा है तथा भारत में आगंतुक है या भारत का नागरिक है जो भारत के बाहर नियोजन के प्रयोजनों के लिए या भारतीय पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत छोडता है, के मामले में साठ दिवस की अविध को एक सौ बयासी दिवसों तक बढा दिया जाता है। और, भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति, जो भारत से बाहर रहा है तथा भारत में आगंतुक है, के मामले में साठ दिवस की पूर्वोक्तवर्णित अविध बढाकर एक सौ बीस दिवस कर दी जाती है यदि ऐसे व्यक्ति की कुल आय, विदेशी स्त्रोतों से आय से भिन्न, सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान पंद्रह लाख रुपये से अधिक होती है।

इसके अतिरिक्त, उपवर्णित शर्तों को ध्यान में न रखते हुए, कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है तथा विदेशी स्त्रोतों से भिन्न, उसकी कुल आय पंद्रह लाख रुपये से अधिक है, निवासी समझा जाएगा यदि वह अपने अधिवास या निवास या अन्य मापदंड के कारण किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र में कर का दायी नहीं है। जहां उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णत: भारत के बाहर अवस्थित है उसके सिवाय, प्रत्येक मामले में व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या फर्म भारत में निवासी है।

कोई कंपनी भारत में निवासी है, यदि वह भारतीय कंपनी है या इसके प्रभावी नियंत्रण का स्थान भारत में है। यथा पूर्वोक्त कोई व्यक्ति जो भारत में निवासी नहीं है, भारत में अनिवासी है।

6. मद सं. 17 के संबंध में, प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित ठहरावों पर आधारित होना/होने चाहिए। परिकल्पित प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

- 7. मद सं. 18 के संबंध में, आवेदक विस्तृत रुप से सुसंगत तथ्यों का कथन करेगा तथा अपने कारबार या वृति की प्रवृति और संभावित तारीख तथा प्रस्तावित (ठहराव) के प्रयोजन का प्रकटन भी करेगा। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में दर्शित सुसंगत तथ्यों को तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया जाएगा ना कि मात्र निर्देश द्वारा निगमित किया जाएगा।
- 8. मद संख्या 19 के लिए उपाबंध 2 में, आवेदक अपने विधि के निर्वचन या ऐसे प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, की बाबत तथ्यों को स्पष्ट रुप से वर्णित करेगा।
- 9. आवेदन, उससे संलग्न सत्यापन, आवेदन और विवरणों के उपाबंधों और उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज इस प्रकार से है,-
 - (क) व्यष्टि के मामले में,-
 - (I) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित.-
 - (i) व्यष्टि स्वयं द्वारा ; या
 - (ii) जहां, किसी अपिरहार्य कारण से, किसी व्यष्टि के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;
 - परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए व्यष्टि से विधिमान्य मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; और
 - (II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;
 - (ख) हिंदू अविभक्त कुटुंब के मामले में,-
 - (I) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-
 - (i) उसके कर्ता द्वारा : या
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है ऐसे कुटुम्ब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा ; और
 - (II) हस्ताक्षरित या अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;
 - (ग) कंपनी के मामले में.-
 - (I) हस्ताक्षरित या अंकीय रुप से हस्ताक्षरित,-
 - (i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन में हस्ताक्षर और सत्यापन करने के योग्य नहीं हैं, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं हैं ; उसके किसी निदेशक द्वारा ; या
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा:
 - परंतु उपखंड (ii) के निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिपूर्ण मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या
 - (II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा;
 - (घ) फर्म के मामले में,-
 - (I) हस्ताक्षरित या अंकीय रुप से हस्ताक्षरित,-
 - (i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा; या
 - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर या सत्यापन करने के योग्य नहीं है, या जहां ऐसा कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो ; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;
(ड.) व्यक्तियों के संगम के मामले में,-
(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रुप से हस्ताक्षरित ; और
(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;
(च) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में,-
(I) उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से काम करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या अंकीय रुप से हस्ताक्षरित; और
(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;
उपाबंध 1
उन सुसंगत तथ्यों का कथन जिनका उस प्रश्न (प्रश्नों) से संबंध है, जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है
्रावेदक,
स्थान तारीख
उपाबंध 2
प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करते
हुए कथन
स्थान तारीख
(आवेदक)"।
[अधिसूचना सं. 37/2023 फा. सं. 370142/62/2021-टीपीएल (पार्ट-III)]
पूजा पारमिता निदेशक
त्रया तारामचा । मदशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 403(अ), तारीख 31 मई 2023 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2023

- **G.S.R. 432(E).**—In exercise of the powers conferred by section 245Q read with section 295 of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely: —
- 1. **Short title and commencement**.— (1) These rules may be called the Income-tax (Ninth Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 44E, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 - "(2) The application referred to in sub-rule (1), the verification appended thereto, the annexures to the said application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,— (a) in the case of an individual,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the individual himself; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf:

Provided that in a case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application; and

- (II) furnished through his registered e-mailaddress;
- (b) in the case of a Hindu undivided family,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the karta thereof; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the kartato sign the application, by any other adult member of such family; and
- (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (c) in the case of a company, —
- (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the Managing Director thereof; or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:

Provided that in the case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application; and

- (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (d) in the case of a firm,
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the managing partner thereof; or
 - (ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor; and

- (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (e) in the case of an association of persons,—
 - (I) signed or digitally signed by any member of the association or the principal officer thereof; and
 - (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (f) in the case of any other person,—
 - (I) signed or digitally signed by that person or by some other person competent to act on his behalf; and
 - (II) furnished through his registered e-mailaddress.
- 3. In the said rules, in rule 44F,—
 - (i) in the marginal heading, for the word "Authority", the word "Board" shall be substituted;
 - (ii) for the word "Authority" at both the places where they occur, the word "Board" shall be substituted, in both places.
- 4. In the said rules, in Appendix-II, for the Forms —FORM No. 34C to FORM No. 34EA, the following Forms shall be substituted, namely:—

"FORM No. 34C

[See rule 44E]

[Form of application by a non-resident applicant for obtaining an advance ruling under section 245Q(1) of the Income-tax Act, 1961

(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM) BEFORE THE BOARD FOR ADVANCE RULINGS

	ADVANCE RULINGS				
		Mr.	Ms.		
1.	In case of an individual,				
	Last Name/ Surname First Name				
	Middle Name				
2.	Date of Birth				
3.	Father's name				
4.	Full name (in case the applicant is not an individual)				
5.	Date of Incorporation (in case applicant is not an individual)				
6.	Type of incorporation				
7.	Address				
8.	Telephone, Fax No. and e-mail address				
9.	Country of residence				
10.	Status				
11.	Basis of claim for being a non-resident				
12.	The Commissioner and the Assessing Officer having jurisdic over the applicant (in the case of existing assessees)	tion			
13.	Permanent Account Number (in the case of existing assessees)				

	Question(s) relating to the transaction on which the advance ruling is required	
	Whether the transaction referred to in item No. 14 relates to an event of national or international importance?	
16.	If yes, name of the event	
	Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) referred to in item No. 14	
18. 19.	Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid question(s) List of documents or statements attached	
20.	Fee payment details, such as Transaction Reference No./ Challan Identification Number/ Payment Identification Number etc., accompanying the application	
21.	Name and address of authorised representative in India, if any	
22.	Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number or Functional equivalent or any unique number used for identification by the Government of that country or specified territory of which applicant claims to be a resident	
23.	Particulars of the Parent Company or Companies of the applicant:	
(a)	Name of the Immediate parent company of the applicant	
(b)	Address of Immediate parent company of the applicant	
(c)	Country of residence of Immediate parent company of the applicant	
(d)	Permanent Account Number of Immediate parent company of the applicant (if allotted)	
(e)	Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number or Functional equivalent or any unique number used for identification of the Immediate parent company of applicant by the Government of that country or specified territory of which it claims to be a resident	
(f)	Name of Ultimate parent company of the applicant	
(g)	Address of Ultimate parent company of the applicant	
(h)	Country of residence of Ultimate parent company of the applicant	

(i)	Permanent Account Number of Ultimate parent company of the applicant (if allotted)
(j)	Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number or Functional equivalent or any unique number used for identification of the Ultimate parent company of applicant by the Government of that country or specified territory of which it claims to be a resident
	Signed (Applicant)
I,	Verification
	ughter/wife [name in full and in block letters] of do hereby solemnly
declare docum applica	that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the annexure(s), including the ments accompanying such annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am making this ation in my capacity as(designation) at I am competent to make this application and verify it.
income	declare that the question(s) on which the advance ruling is sought is/are not pending in my case before any e-tax authority, the Appellate Tribunal or any court. I today, theday ofday
Place	Signed (Applicant)

भारत का राजपत्र : असाधारण

27

Notes:

1. The application shall be filled in English or Hindi.

- 2. The application shall be accompanied by proof of payment, of applicable fees in accordance with sub-rule (4) of rule 44E of rules, made in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Details of payment shall be given in reply to item No. 20.
- 3. In reply to item No. 7, in the case of an applicant, who is not an existing assessee, the following addresses are to be given:-
 - The place where office and residence are located or is likely to be located in India
 - The address in his country of incorporation.
- 4. In reply to item No. 9, if the applicant is a company, association of persons or Hindu undivided family, etc., the country of residence thereof is to be given and not of the individual who is filing the application on behalf of such person.
- 5. In reply to item No. 10, the applicant shall state whether the applicant is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.
- 6. For item No. 11, the reply shall be given in the context of the provisions regarding 'residence' in India as contained in section 6 of the Income-tax Act. The position in this regard is as follows:

An individual is said to be 'resident' in any financial year, if he has been in India during that year:

- for a period or periods of one hundred and eighty-two days or more; or
- for a period or periods of sixty days or more and has also been in India within the preceding four years for a period or periods of three hundred and sixty-five days or more.

However, the period of sixty days is increased to one hundred and eighty-two days in the case of a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes on a visit to India or a citizen of India who leaves India for purposes of employment outside India, or as a member of the crew of an Indian ship. Further, in the case of a person who is a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes to a visit to India, the aforementioned period of sixty days is increased to one hundred and twenty days if the total income of such person, other than income from foreign sources, exceeds fifteen lakh rupees during the relevant previous year.

Furthermore, irrespective of the above mentioned conditions, an individual, who is a citizen of India and has total income, other than the income from foreign sources, exceeding fifteen lakh rupees will be deemed to be a resident if he is not liable to tax in any other country or territory due to his domicile or residence or any other criterion.

An association of persons or a Hindu undivided family or a firm is resident in India in every case except where the control and management of its affairs is situated wholly outside India.

A company is resident in India, if it is an Indian company or its place of effective management is in India.

A person who is not resident in India as above, is non-resident in India

- 7. Regarding item No. 14, the questions shall be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions shall not beentertained.
- 8. In respect of item No. 17, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts and also disclose the nature of his business or profession and the likely date and purpose of the proposed transactions. Relevant facts reflected in documents submitted along with the application must be included in the statement of facts and not merely incorporated by reference.
- 9. For item No. 18, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the questions on which the advance ruling has been sought.
- 10. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
- (a) in the case of an individual,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the individual himself; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf:

Provided that in a case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application; and

- (II) furnished through his registered e-mailaddress;
- (b) in the case of a Hindu undivided family,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the karta thereof; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; and

furnished through its registered e-mailaddress;

- (c) in the case of a company, —
- (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29

able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof; or

(ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:

Provided that in the case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application; and

(II) furnished through its re	egistered e-mailaddress;	
(d) in the case of a firm, —		
(I) signed or digita	lly signed,—	
(i) by the	managing partner thereof; or	
	e for any unavoidable reason such managing par n, or where there is no managing partner as suc d	
(II) furnished throu	agh its registered e-mailaddress;	
(e) in the case of an associa	ation of persons,—	
	tally signed by any member of the association or ugh its registered e-mailaddress;	the principal officer thereof; and
f) in the case of any other j	person.—	
	ally signed by that person or by some person com	petent to act on his behalf; and
Furnished through his registe	ered e-mailaddress;	
	ANNEXURE I	
Statement of the relevan	t facts having a bearing on the questions on wl	hich the advance ruling is required
		Signed
Place (Applicant)		_
Date		
	ANNEXURE II	
Statement containing th	ne applicant's interpretation of law or facts, as question(s) on which advance ruling is req	
Place		
Signed Date		
(Applicant)		

FORM No. 34D

[See rule 44E]

Form of application by a resident applicant for seeking an advance ruling in relation to a transaction undertaken or proposed to be undertaken by him with a non-resident, under section 245Q(1) of the Income-tax Act, 1961

(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM) BEFORE THE BOARD FOR ADVANCE RULINGS

	ADVANCE ROLLINGS	
1.	Full name and address of the applicant	
2.	Telephone, Fax No. and email address	
3.	Status	
4.	Commissioner and Assessing Officer having jurisdiction over the applicant	
5.	Permanent Account Number, and Aadhaar Number (if applicable)	
5.	Particulars of the non-resident with whom the transaction is undertaken or proposed to be undertaken	
	(a) Name of the non-resident	
	(b) Address of the non-resident	
	(c) Country of residence	
	(d) Telephone and Fax Number of the non-resident	
	(e) Permanent Account Number of the non- resident (if allotted)	
	(f) Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number/Functional equivalent or any unique number used for identification of the non-resident by the Government of that country or specified territory of which it claims to be a resident.	
	(g) Name of Immediate parent company of the non-resident	
	(h) Address of Immediate parent company of the non-resident	
	(i) Country of residence of Immediate parent company of the non-resident	
	(j) Permanent Account Number of Immediate parent company of the non- resident (if allotted)	
	(K) Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number or Functional equivalent/ any unique number used for identification of the Immediate parent company of the non- resident by the Government of that country or specified	

territory of which it claims to be a resident

(1)	Name of Ultimate parent company of the non-resident	
(m)	Address of Ultimate parent company of the non-resident	
(n)	Country of residence of Ultimate parent company of the non-resident	
(o)	Permanent Account Number of Ultimate parent company of	
(p)	the non-resident (if allotted) Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number or	
	Taxpayer Identification Number or Functional equivalent or any unique	
	number used for identification of the Ultimate parent company of the non- resident by the Government of that country/specified territory of which it claims to be a resident;	
	of claim that the person referred to in serial number 6 with transaction is undertaken or proposed to be undertaken is a	
	on(s) of law or of fact relating to a transaction undertaken or to be undertaken on which the advance ruling is required	
	er the transaction referred to in item No. 8 relates to an event al or international importance?	
10. If yes	, name of event	
	ment of the relevant facts having a bearing on the question(s) o in item No. 8	
	ment containing the applicant's interpretation of law or facts, se may be, in respect of the aforesaid question(s)	
13. List o	f documents or statements attached	
Identifica	rayment details, such as Transaction Reference No./ Challan tion Number/ Payment Identification Number etc., nying the application	
		Signed (Applicant,
I,	Verification	
son/daugl	nter/wife [name in full and in block letters]	of
declare the document application	do hereby solemment to the best of my knowledge and belief what is stated above and accompanying such annexure(s), is correct and complete. I furtion in my capacity as	d in the annexure(s), including the her declare that I am making this
I also dec	clare that the question(s) on which the advance ruling is sought is/are ax authority, the Appellate Tribunal or any court.	•
		Signed
Place		(Applicant)

Notes:

- 1. The application shall be filled in English or Hindi.
- 2. The application shall be accompanied by proof of payment, of applicable fees in accordance with sub-rule (4) of rule 44E of rules, made in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Details of payment shall be given in reply to item No. 14.
- 3. In reply to item No. 3, the applicant shall state whether the applicant is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.
- 4. For item No. 6, the reply shall be given in the context of the provisions regarding 'residence' in India as contained in section 6 of the Income-tax Act. The position in this regard is as follows:

An individual is said to be 'resident' in any financial year, if he has been in India during that year:

- for a period or periods of one hundred and eighty-two days or more; or
- for a period or periods of sixty days or more and has also been in India within the preceding four years for a period or periods of three hundred and sixty-five days or more.

However, the period of sixty days is increased to one hundred and eighty-two days in the case of a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes on a visit to India or a citizen of India who leaves India for purposes of employment outside India, or as a member of the crew of an Indian ship. Further, in the case of a person who is a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes to a visit to India, the aforementioned period of sixty days is increased to one hundred and twenty days if the total income of such person, other than income from foreign sources, exceeds fifteen lakh rupees during the relevant previous year.

Furthermore, irrespective of the above mentioned conditions, an individual, who is a citizen of India and has total income, other than the income from foreign sources, exceeding fifteen lakh rupees will be deemed to be a resident if he is not liable to tax in any other country or territory due to his domicile or residence or any other criterion.

An association of persons or a Hindu undivided family or firm is resident in India in every case except where the control and management of its affairs is situated wholly outside India.

A company is resident in India, if it is an Indian company or its place of effective management is in India.

A person who is not resident in India as above, is non-resident in India.

- 5. Regarding item No. 8, the question(s) shall be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions shall not beentertained.
- 6. In respect of item No. 11, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts and also disclose the nature of his business or profession and the likely date and purpose of the proposed transaction(s). Relevant facts reflected in the documents submitted along with the application shall be included in the statement of facts and not merely incorporated by reference.
- 7. For item No. 12, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the question(s) on which the advance ruling has been sought.
- 8 . The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
- (a) in the case of an individual,—

- (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the individual himself; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf:

Provided that in a case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application; and

- (II) furnished through his registered e-mailaddress;
- (b) in the case of a Hindu undivided family,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the karta thereof; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; and
 - (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (c) in the case of a company, —
- (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:

Provided that in the case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application; and

- (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (d) in the case of a firm,
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the managing partner thereof; or
 - (ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor; and
 - (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (e) in the case of an association of persons,—
 - (I) signed or digitally signed by any member of the association or the principal officer thereof; and
 - (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (f) in the case of any other person,—
 - (I) signed or digitally signed by that person or by some person competent to act on his behalf; and
 - (II) furnished through his registered e-mailaddress;

ANNEXURE I	(a) an imbiah dha aduan a imbia is
Statement of the relevant facts having a bearing on the question(required	s) on which the advance ruling is
Place(Applicant)	
ANNEXURE II	
Statement containing the applicant's interpretation of law or facts,	as the case may be, in respect of the
question(s) on which advance ruling is required	
Place	
Signed Date(Applicant)	
FORM No. 34DA	
[See rule 44E]	
Form of application by a resident applicant for seeking an advance r which has been undertaken or is proposed to be undertaken, under sec 1961	
(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS ADVANCE RULINGS	FORM) BEFORE THE BOARD FOR
1. Full name and address of the applicant	
2. Telephone, Fax No. and email address	
3. Status	
4. The Commissioner and Assessing Officer having jurisdiction over the applicant	
5. Permanent Account Number, and Aadhaar Number (if applicable)	
6. Name, address, telephone or fax number and email address of the person with whom the transaction is undertaken or proposed to be	
undertaken	
7. Question(s) of law or of fact relating to a transaction undertaken or proposed to be undertaken on which the advance ruling is required	
8. Whether the transaction referred to in item No. 7 relates to an event of national or international importance?	
9. If yes, name of event	
10. Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) referred to in item No. 7	
11. Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid question(s)	
12. Whether there are any decisions of the Court on the question raised on which ruling is required? If yes, list such relevant decisions.	

नाग II—खण्ड 3(i)]		भारत का राजपत्र : असाधारण	35
13. List of documents of	or statements attache	ed	
	er/ Payment Ide	tion Reference No./ Challan entification Number etc.,	
			Signed (Applicant)
		Vonification	(Аррисин)
		Verification	
I,			
son/daughter/wife [name in full		s] of
declare that to the bes documents accompany	t of my knowledge ing such annexure	e and belief what is stated above	and in the annexure(s), including the urther declare that I am making this
I also declare that the income-tax authority, the			are not pending in my case before any
Verified today, the	day (of	
			Signed

Notes:

- 1. The application shall be filled in English or Hindi.
- 2. The application shall be accompanied by proof of payment, of applicable fees in accordance with sub-rule (4) of rule 44E of Income-tax Rules, 1962, made in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Details of payment shall be given in reply to item No. 14.

(Applicant)

- 3. In reply to item No. 3, the applicant shall state whether the applicant is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.
- 4. Regarding item No. 7, the questions shall be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions shall not beentertained.
- 5. In respect of item No. 10, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts and also disclose the nature of his business or profession and the likely date and purpose of the proposed transactions. Relevant facts reflected in the documents submitted along with the application shall be included in the statement of facts and not merely incorporated byreference.
- 6. For item No. 11, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the question(s) on which the advance ruling has been sought.
- 7. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
 - (a) in the case of an individual,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the individual himself; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf:

Provided that in a case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application; and

- (II) furnished through his registered e-mailaddress;
- (b) in the case of a Hindu undivided family,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the karta thereof; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; and
 - (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (c) in the case of a company, —
- (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:

Provided that in the case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application; and

- (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (d) in the case of a firm,
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the managing partner thereof; or
 - (ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor; and
 - (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (e) in the case of an association of persons,—
 - (I) signed or digitally signed by any member of the association or the principal officer thereof; and
 - (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (f) in the case of any other person,—
 - (I) signed or digitally signed by that person or by some person competent to act on his behalf; and
 - (II) furnished through his registered e-mailaddress.

ANNEXURE I

	Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) on which the advance ruling is required
	Sign
	(Applicant
DI	
Place	
Date	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 37

ANNEXURE II

Plac	e	
	ed Date	
-	olicant)	
	FORM No. 34E	
Fo	[See rule 44E] orm of application by a resident falling within such class or category Government for obtaining an advanceruling under section 245Q(1	
	(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING BOARD FOR ADVANCE RULINGS	ΓHIS FORM) BEFORE THE
۱.	Full name and address of the applicant	
2.	Telephone, Fax No. and email address	
٠.	receptione, rax tvo. and email address	
3.	Status	
	The Commissioner and Assessing Officer having jurisdiction over the applicant	
5 .	Permanent Account Number, and Aadhaar Number (if applicable)	
6.	Particulars of the appeal number and date of appeal before the CIT(A) or the Tribunal wherever applicable	
he c	ssessment year, date of assessment order and section under which original order was passed by the Assessing Officer wherever icable (enclose copy of thassessment order and appellate r)	
	uestion(s) of law or of fact involved on which the advance ruling quired	
	Whether the transaction referred to in item No. 8 relates to an event ational or international importance?	
0. 1	If yes, name of event	
	Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) rred to in item No. 8	
	Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, ne case may be, in respect of the aforesaid question(s)	
3. I	List of documents or statements attached	
den	Fee payment details, such as Transaction Reference No./ Challan tification Number/ Payment Identification Number etc., ompanying the application	

38	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]
	Verification
son/dauş	ghter/wife [name in full and in block letters] of do hereby solemnly
docume	that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the annexure(s), including the ats accompanying such annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am making this ion in my capacity as
	(designation) and that I am competent to make this application and verify it.
income-	eclare that the question(s) on which the advance ruling is sought is/are not pending in my case before any tax authority, the Appellate Tribunal or any court. oday, theday of.
	Signed (Applicant)
Place	
Notes:	
<i>1.</i> 7.	Γhe application shall be filled in English or Hindi.
(4) of ru	The application shall be accompanied by proof of payment, of applicable fees in accordance with sub-rule ale 44E of rules, made in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Details of payment given in reply to item No. 14.
<i>3</i> . I	n reply to item No. 3, the applicant shall state whether the applicant is an individual, Hindu undivided

- 4. Regarding item No. 8, the questions shall be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions shall not beentertained.
- In respect of item No. 11, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts. The tax effect on each question shall also be spelt out.
- 6. For item No. 12, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the questions on which the advance ruling is being sought.
- 7. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
- (a) in the case of an individual,—
 - (I) signed or digitally signed,—

family, firm, association of persons or company.

- (i) by the individual himself; or
- (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf:

Provided that in a case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application;

- (II) furnished through his registered e-mailaddress;
- (b) in the case of a Hindu undivided family,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the karta thereof; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; and
 - (II) furnished through its registered e-mailaddress;

- © in the case of a company, —
- (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:

Provided that in the case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application; and

- (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (d) in the case of a firm,
 - a. signed or digitally signed,
 - i. by the managing partner thereof, or
 - ii. where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor; and
 - b. furnished through its registered e-mailaddress;
- (e) in the case of an association of persons,
 - a. signed or digitally signed by any member of the association or the principal officer thereof; and
 - b. furnished through its registered e-mailaddress;
- (f) in the case of any other person,
 - a. signed or digitally signed by that person or by some person competent to act on his behalf; and
 - b. furnished through his registered e-mailaddress.

ANNEXURE I

Statement of the relevant fac	ets having a bearing on the question(s) on which the advance ruling is required
<i>Place</i>	
Signed Date	
	(Applicant)
D.	
Place	
Signed Date	
(Applicant)	

FORM No. 34EA

[See rule 44E]

Form of application by a person for obtaining an advance ruling under section 245Q(1) of the Income-tax Act, 1961

(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM) BEFORE THE BOARD FOR ADVANCE RULINGS

1.	In case of an individual,			Mr.	MS.		
	Last Name/ Surname First N Middle Name	ame					
2.	Date of Birth						
3.	Father's name						
4.	Full name (in case applicant is not an individual)						
5.	Date of Incorporation (in case applica	nt is not an individ	lual)				
6.	Type of incorporation						
7.	Address						
8.	Status						
9.	Resident or non-resident in India						
10.	Country of which he is resident (in ca	se of non-resident)					
11.	Basis of claim for being a non-resider	t					
12.	The Commissioner and Assessing over the applicant (only in case assessees)						
13.	Permanent Account Number, (if applicable) in case of resident	and Aadhaar	number				
14.	Details of the arrange undertaken by the applicant on w decision of the Board is required		be or				
	(i) brief description of the arrangement	nt	L I		<u>_</u>		
	(ii) purpose or purposes of the arrang	ement					
	(iii) details of the other parties to following format:	the arrangement in	n the				
S.No	Name of the Whether other party(ies) to resident in the arrangement India	Permanent Account Number and Aadhaar Number (if applicable)	Role of such party in arrangement	Relationship with other party(ies) to the arrangement	Tax benefit arising to the other party(ies), if any		

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	41
15. The tax benefit which is likely to arise of arrangement, if undertaken	out	
16. Assessment year, or years during indicated in item No. 15 is likely up)		
17. Questions(s) relating to the propose advance ruling is required referred to		
18. Statement of the relevant facts having	a bearing on the item No. 14	
19. Statement containing the applicant's is as the case may be, in respect of the		
20. List of documents or statements attached	ed	
21. Fee payment details, such as T Challan Identification	ransaction Reference No./	
Number/ Payment Identification Nu application	imber etc., accompanying the	
22. Name and addressof authorised repre	esentative in India	
	Verification	Signed (Applicant)
son/daughter/wife [name in fu	ıll and in block letter	rs] of
declare that to the best of my knowled documents accompanying such annexu application in my capacity as	ge and belief what is stated above re(s), is correct and complete. I	e and in the annexure(s), including the further declare that I am making this
-		•
I also declare that the question on whi income-tax authority, the Appellate Tribi Verified today, theda	unal or any court.	is not pending in my case before any
Place		Signed (Applicant)
Notes:		
1. The application shall be filled in English	sh or Hindi.	
2. In reply to item No. 9, in the case of a	n applicant, who is not an existing	assessee, the following addresses are to
 be given:- The place where office and reside 	ence are located or is likely to be loc	catad in India
 The place where office and reside The address in his country of ince 		carea in maia
3. The application shall be accompanied rule 44E of Income-tax Rules, 1962, may of payment shall be given in reply to item	by proof of payment, of applicable de in favour of Board for Advance	

4 . In reply to item No. 8, the applicant must state whether the applicant is an individual, Hindu undivided family,

5. For item No. 11, the reply shall be given in the context of the provisions regarding 'residence' in India as

firm, association of persons or company.

contained in section 6 of the Income-tax Act. The

position in this regard is as follows:

An individual is said to be 'resident' in any financial year, if he has been in India during that year:

- for a period or periods of one hundred and eighty-two days or more; or
- for a period or periods of sixty days or more and has also been in India within the preceding four years for a period or periods of three hundred and sixty-five days or more.

However, the period of sixty days is increased to one hundred and eighty-two days in the case of a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes on a visit to India or a citizen of India who leaves India for purposes of employment outside India, or as a member of the crew of an Indian ship. Further, in the case of a person who is a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes to a visit to India, the aforementioned period of sixty days is increased to one hundred and twenty days if the total income of such person, other than income from foreign sources, exceeds fifteen lakh rupees during the relevant previous year.

Furthermore, irrespective of the above mentioned conditions, an individual, who is a citizen of India and has total income, other than the income from foreign sources, exceeding fifteen lakh rupees will be deemed to be a resident if he is not liable to tax in any other country or territory due to his domicile or residence or any other criterion. An association of persons or a Hindu undivided family or firm is resident in India in every case except where the control and management of its affairs is situated wholly outside India.

A company is resident in India, if it is an Indian company or its place of effective management is in India. A person who is not resident in India as above, is non-resident in India

- 6. Regarding item No. 17, the question (s) should be based on actual or proposed arrangements. Hypothetical questions shall not beentertained.
- 7. In respect of item No. 18, the applicant shall state in detail the relevant facts and also disclose the nature of his business or profession and the likely date and purpose of the proposed arrangement(s). Relevant facts reflected in documents submitted along with the application shall be included in the statement of facts and not merely incorporated by reference.
- 8. For item No. 19, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the question(s) on which the advance ruling has been sought.
- 9. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
- (a) in the case of an individual,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the individual himself; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf:

Provided that in a case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application; and

- (II) furnished through his registered e-mailaddress;
- (b) in the case of a Hindu undivided family,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the karta thereof; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; and
 - (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (c) in the case of a company, —

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 43

[माग II—ख	ण्ड 3(1)] भारत का राजपत्र . असाधारण	4.
(I) si	igned or digitally signed,—	
) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director to	
,	i) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Direct e application, by any person duly authorised by the company in this behalf:	tor to sign
	rovided that in the case referred to in sub-clause (<i>ii</i>), the person signing the application hower of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application; and	lds a valid
(II) furnis	shed through its registered e-mail address;	
(d) in the	case of a firm, —	
(I) signed or digitally signed,—	
	(i) by the managing partner thereof; or	
	(ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, n minor; and	
(I	I) furnished through its registered e-mailaddress;	
(e) in the	case of an association of persons,—	
(I	signed or digitally signed by any member of the association or the principal officer thereof;	and
(I	I) furnished through its registered e-mailaddress;	
(f) in the c	ase of any other person,—	
(I) signed or digitally signed by that person or by some person competent to act on his behalf; ar	nd
(I	I) furnished through his registered e-mailaddress.	
	ANNEXURE I	

Statement of the I	reievant facts naving a	bearing on the questio	n(s) on which the adv	vance runing is required
Place				
Signed Date				
(Applicant)				
		ANNEXURE II		
	ing the applicant's int ch advance ruling is re	-	facts, as the case m	nay be, in respect of the
Place				
Signed Date				
(Applicant)".				

 $[Notification\ No.\ 37/2023\ \ F.No.\ 370142/62/2021-TPL(Part-III)]$

PRAJNA PARAMITA, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section-3, Sub-Section (ii) vide number S.O. 969(E) dated the 26 March, 1962 and were last amended vide notification No. G.S.R. 403 (E), dated the 31st May, 2023.